संख्या–N.B.558/58–2014–160/2014

प्रेषक,

अमरनाथ उपाध्याय,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग

लखनऊः दिनांकः 22 सितम्बर, 2014

विषयः– वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक में अनुदान सं0–83 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक ''2401–789–07–औद्यानिक विकास कार्यक्रम'' की योजना में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि के अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–113–014/बजट–आयोजनागत–2014–15, दिनांक 23.7.2014 एवं संख्या–171–72/बजट–आयोजनागत– 2014–15, दिनांक 09.9.2014 के संदर्भ में तथा शासनादेश संख्या 1386/58–2014– 160/2014 दिनांक 07.7.2014 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विषयगत योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 में अनुदान सं0–83 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 2,45,00 हजार के सापेक्ष लेखानुदान से रू0 81,67 हजार (रूपये इक्यासी लाख सरसठ हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी हैं। पूर्व में अवमुक्त की गयी उक्त धनराशि के अतिरिक्त अवशेष धनराशि रू0 1,63,33 हजार (रूपये एक करोड़ तिरसठ लाख तैतीस हजार) मात्र निम्न विवरण के अनुसार निम्नांकित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन और व्यय किये जाने हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

(धनराशि हजार रूपये में)

लेखाशीर्षक/योजना का नाम	कोड सं0/ मद का नाम	आय–व्ययक प्राविधान, 2014–15	4/12 भाग के लेखानुदान हेतु पूर्व में अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त की जा रही धनराशि
अनुदान सं0–83 2401–फसल कृषि कर्म– आयोजनागत– 789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 07– औद्यानिक विकास कार्यक्रम	27–सब्सिडी 42–अन्य व्यय	2,16,13 28,87	72,05 9,62	1,44,08 19,25
	योग	2,45,00	81,67	1,63,33

(रूपये एक करोड़ तिरसठ लाख तैतीस हजार मात्र)

1– अवमुक्त की जा रही उक्त धनराशि के आहरित/व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 योजना हेतु निर्धारित मानक तथा दिशा–निर्देशों का अनुपालन किया गया है। इस आशय का प्रमाण–पत्र उनके द्वारा कोषागार में धनराशि आहरित करने से पूर्व दिया जायेगा। तदोपरान्त धनराशि आहरित की जायेगी।

2– उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय जनपदवार/योजनान्तर्गत स्वीकृत परिव्यय के अनुसार ही किया जायेगा उसमें किसी प्रकार का विचलन वित्तीय अनियमितता माना जायेगा तथा किसी प्रकार व्यावर्तन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

3– अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय विभाग के कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार माहवार फेजिंग करते हुए किया जाये तथा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाये।

4– शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों सहित मितव्ययिता के सम्बन्ध में जारी शासनादेशों का अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाये।

5– जिन मदों में व्यय हेतु शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति आवश्यक हो उनमें व्यय करने से पूर्व शासन/सक्षम अधिकारी की अनुमति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

6– अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। व्यय आवंटित सीमा तक ही रखा जाये।

7– बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियन्त्रण के सम्बन्ध में शासनादेश सं0–बी– 1–1195/दस– 16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

8– उक्त प्रस्तर में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन विभाग में कार्यरत वित्त नियन्त्रक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो सम्बन्धित मुख्य एवं वित्त लेखाधिकारी का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले को पूर्ण विवरण सहित सूचना तत्काल शासन/वित्त विभाग को दिया जाये।

9– वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी0–1–795/दस–2014– 231/2014 दिनांक 14.3.2014 एवं ज्ञाप संख्या–बी0–1–2457/दस–2014– 231/2014 दिनांक 22.7.2014 में दी गयी शर्तो एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन भी विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जाये। विचलन की स्थिति में वित्तीय अनियमितता माना जायेगा। जिसके लिए निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ एवं मुख्य एवं वित्त लेखाधिकारी, उद्यान विभाग उत्तरदायी होगें।

10– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय भारत सरकार द्वारा निर्धारित एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 के मानक/दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

11– योजना पर किये गये व्यय के संबंध में मासिक विवरण प्रत्येक माह की 05 तारीख तक शासन को उपलब्ध कराये जाय।

12— शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययिता के संबंध में जारी शासनादेश संख्या—सी—ए—1132/दस—2004— मित—1/2004, दिनांक 07.1.2005 का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

13— यह आदेश वित्त विभाग के का0ज्ञाप0संख्या बी0—1—2457/दस—2014— 231/2014 दिनांक 22.7.2014 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अमरनाथ उपाध्याय)
संयुक्त सचिव

संख्या —N.B.558(1)/58—2014, तद्दिनांक :—

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

(1) महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी (प्रथम)/द्वितीय उ0 प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम)/ (द्वितीय), उ0 प्र0, इलाहाबाद।
(3) प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, बजट प्रकोष्ठ, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग— 3/एन0आई0सी0 की प्रति।
(6) मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0 लखनऊ।
(7) गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

22/9/14

(अमरनाथ उपाध्याय)
संयुक्त सचिव